

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 208 सन 2020

अनवान :-

1. करणीसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रतनकवर पत्नी चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. किशोरसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. बिशनसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. अजन कंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी मातुसिंह जाति राजपुत साकिन राणासर तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
5. मंजु कवर पुत्री चतरसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपुत साकिन राणासर तहसील सरदारशहर जिला चुरु।
6. सायरकंवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. संजुकवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 422/330 के खसरा न0 1278 की 13.3710हैक् खसरा न0 1278/1292 की 0.7210हैक् कुल 14.0920हैक् में से 1/2 हिस्सा यानी 7.046हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चतरसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि चतरसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है चतरसिंह पुत्र हेमसिंह के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी है अर्थात चतरसिंह पुत्र हेमसिंह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो चतरसिंह पुत्र हेमसिंह की कृषि भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के हकदार है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने है एवं चतरसिंह पुत्र हेमसिंह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की चतरसिंह पुत्र हेमसिंह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता चतरसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम से दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है वाद भूमि जो चतरसिह के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 विरारतन से हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 422/330 के खसरा न0 1278 की 13.3710हैक् खसरा न0 1278/1292 की 0.7210हैक् कुल 14.0920हैक् में से 1/2 हिस्सा यानी 7.046हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चतरसिह पुत्र हेमरसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि चतरसिह पुत्र हेमसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है चतरसिह पुत्र हेमसिह के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी है अर्थात चतरसिह पुत्र हेमसिह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो चतरसिह पुत्र हेमसिह की कृषि भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के हकदार है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।


प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने है एवं चतरसिह पुत्र हेमसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 422/330 के खसरा न0 1278 की 13.3710हैक् खसरा न0 1278/1292 की 0.7210हैक् कुल 14.0920हैक् में से 1/2 हिस्सा यानी 7.046हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चतरसिह पुत्र हेमरसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि चतरसिह पुत्र हेमसिह के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है चतरसिह पुत्र हेमसिह के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी है अर्थात चतरसिह पुत्र हेमसिह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो चतरसिह पुत्र हेमसिह की कृषि भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने


उपसिंह अधिकारी
नोहर

के हकदार है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जो प्रस्तुत मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों को प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 422/330 के खसरा न0 1278 की 13.3710हैक् खसरा न0 1278/1292 की 0.7210हैक् कुल 14.0920हैक् में से 1/2 हिस्सा यानी 7.046हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चतरसिह पुत्र हेमसिह 1/3 व भादरसिह पुत्र हेमसिह का 1/2 हिस्सा में से नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो वहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. करणीसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रतनकवर पत्नी चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. किशोरसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. बिसनसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. अजन कंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी मातुसिंह जाति राजपुत साकिन राणासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
5. मंजु कवर पुत्री चतरसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपुत साकिन राणासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
6. सायरकंवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. संजुकवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपुत साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 208 सन 2020 निर्णय दिनांक- 30/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 422/330 के खसरा न0 1278 की 13.3710हैक् खसरा न0 1278/1292 की 0.7210हैक् कुल 14.0920हैक् में से 1/2 हिस्सा यानी 7.046हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चतरसिंह पुत्र हेमसिंह 1/3 व भादरसिंह पुत्र हेमसिंह का 1/2 हिस्सा में से नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)